कार्यालय मुख्य अभियन्ता, फैजाबाद क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, फैजाबाद।

पत्रांकः—11875फै0क्षे0/75 (iii)/यता0—फै0क्षे0/18 दिनांक :— .07.18

सेवा में,

जिलाधिकारी
जनपद अम्बेडकरनगर।

विषयः— जनपद अम्बेडकरनगर में मेसर्स माई ओन इको इनर्जी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बहराइच—फैजाबाद—आजमगढ़ मार्ग (राज्य मार्ग) के किमी0 167 (चैनेज 0.000 से 0.200) के मध्य से दायीं तरफ गाटा संख्या—327मि0/0.149हे0 में स्थित ग्राम—तिवारीपुर, परगना व तहसील—अकबरपुर, जिला—अम्बेडकरनगर में रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) की स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः—आपका पत्र संख्या—06/ई0आर0के0/पेट्रोल पम्प—स्थापना/अनापत्ति/2018 दिनांक—03.05.2018।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके अनुपालन में अधीक्षण अभियन्ता फै0अ0 वृत्त लो0नि0वि0 फैजाबाद के पत्रांक—2465/64काम—फै0अ0वृ0/17 दिनांक 10.07.2018 द्वारा जनपद अम्बेडकरनगर में बहराइच—फैजाबाद—आजमगढ़ मार्ग (राज्य मार्ग) के किमी0 167 (चैनेज 0.000 से 0.200) के मध्य से दायीं तरफ मेसर्स माई ओन इको इनर्जी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा गाटा संख्या—327मि0/0.149हे0 में स्थित ग्राम—तिवारीपुर, परगना व तहसील—अकबरपुर, जिला—अम्बेडकरनगर में प्रस्तावित रिटेल आउटलेट स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में उपलब्ध करायी गयी आख्या/संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित शर्तों एवं मानचित्र पर अंकित प्रतिबन्धों के अधीन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता हैः—

1. उपरोक्त प्रस्तावित पेट्रोल पम्प जनपद अम्बेडकरनगर में बहराइच—फैजाबाद— आजमगढ़ मार्ग (राज्य मार्ग) के किमी0 167 (चैनेज 0.000 से 0.200) के मध्य से दायीं तरफ मेसर्स माई ओन इको इनर्जी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा रिटेल आउटलेट स्थापित करने हेतु मानचित्र प्रस्तावित है।
2. मार्ग के लेपित सतह के मध्य बिन्दु से बांयी ओर 33.54 मीटर (110फीट) की दूरी तक कोई भी निर्माण कार्य न कराया जाय एवं उसके बाद ही प्रस्तावित रिटेल आउटलेट केन्द्र स्थापित किया जाय।
3. प्रस्तावित रिटेल आउटलेट के निर्माण के समय मिट्टी का पटाव एवं सर्विस रोड आदि का निर्माण मार्ग की लेपित सतह से न्यूनतम 30 से0मी0 नीचा करना होगा जिसमें मार्ग की लेपित सतह पर जल भराव न हो तथा रिटेल आउटलेट की तरफ 3 प्रतिशत का स्लोप रहना चाहिए।
4. रिटेल आउटलेट (पेट्रोल/डीजल स्टोरेज टैंक) एवं विभागीय भूमि के बीच 0.6 मीटर पक्की ड्रेन बनाई जाय तथा उसे लोहे की गेटिंग से ढका जाय ताकि वाहनों के आवागमन में असुविधा न हो और आउटलेट का पानी नाली के द्वारा मुख्य ड्रेन में जा सके।
5. सड़क से रिटेल आउटलेट (पेट्रोल/डीजल स्टोरेज टैंक) तक पहुंचने हेतु एप्रोच रोड पर कम से कम 01 मीटर व्यास की एन0पी0—3 ह्यूम पाइप/आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण कम्पनी/मालिक द्वारा अपने व्यय से कराया जाय।
6. भू—स्वामित्व की जिम्मेदारी लो0नि0वि0 पर नहीं होगी। भू—स्वामित्व का परीक्षण एवं सत्यापन सम्बन्धित राजस्व विभाग अपने स्तर पर सुनिश्चित करेंगे। भू—स्वामित्व होने पर ही नक्शा एवं निर्माण कार्य वैध माना जायेगा।
7. IN & AXIT हेतु साईन बोर्ड इस प्रकार लगाये जाये कि वाहनों को स्पष्ट दिखाई दें।
8. प्रस्तावित रिटेल आउटलेट के निर्माण के समय यू0पी0रोड सा0ले0क0एक्ट—1945 के अन्तर्गत निहित शर्तों का भी पालन करना होगा।
9. मेसर्स माई ओन इको इनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के समस्त निर्देशों एवं अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 अम्बेडकरनगर द्वारा ब्लू प्रिन्ट/मानचित्र पर अंकित किये गये प्रतिबन्धों को भी पालन करना अनिवार्य होगा।

My Own Eco Energy Pvt. Ltd.
Nitin Jain
307,308, Cyber Heights
3rd Floor, Infront of Indira Gandhi, Prasthan
Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow
TIN No-09450058000

10. MORTH द्वारा जारी पत्रांक–आर0डब्ल्यू0/एन0एच0/33023/19/99–डी0ओ0–III दिनांक 24.07.2013 में दिये गये निर्देशों व चेकलिस्ट की शर्तों एवं आई0आर0सी0कोड–12, 1983 में दी गयी शर्तें लागू होगी।

11. यह कि भारत सरकार सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सरकुलर संख्या–आर0डब्ल्यू0/एन0 एच0–33023/19/99–DO-III दिनांक–24.07.2013 के अपेण्डिक्स–1 के प्रस्तर–11 के अनुसार सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता द्वारा एकमुश्त लाइसेन्स फीस एवं प्रोसेसिंग फीस जमा करा लिये जाने के उपरान्त पैरा–10 में वर्णित लाइसेन्स डीड (आयल कम्पनी/पेट्रोल पम्प मालिक एवं अधिशासी अभियन्ता के मध्य) तैयार कर हस्ताक्षरित की जायेगी जो 05 साल के पश्चात पुनः निर्धारित शुल्क (रूपया दस हजार मात्र) जमा करने एवं शर्तों का अनुपालन करने पर नवीनीकरण किया जायेगा।

12. जब भी मार्ग चौड़ीकरण हेतु भूमि वांछित होगी, तो भूमि चौड़ीकरण हेतु उपलब्ध करा दी जायेगी और पम्प मालिक को अपने व्यय पर वांछित निर्माण हटाना होगा।

13. लो0नि0वि0 को स्थाई भूमि पर कोई भी निर्माण एवं सईन बोर्ड लगाना अनुमन्य नही होगा।

14. निर्माण स्थल की भूमि पर न्यायालय में कोई विवाद विचाराधीन है तो ऐसी दशा में अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जाय।

15. एक वर्ष तक प्रस्तावित निर्माण कार्य न होने पर पेट्रोल पम्प स्वामी को पुनः अनुमति लेनी होगी।

उपरोक्त शर्तों का पालन न करने पर रिटेल आउटलेट की संस्तुति निरस्त समझी जायेगी।

संलग्नकः– मानचित्र दो प्रतियों में (मूल में)।

13/7/18

(उत्तम कुमार महलौत)
मुख्य अभियन्ता(फै0क्षे0),
लो0नि0वि0, फैजाबाद।

13/07/18

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अधीक्षण अभियन्ता, फै0अ0वृत्त, लो0नि0वि0 फैजाबाद को उनके पत्रांक–2465/64काम–फै0अ0वृ0/17 दिनांक–10.07.2018 के सन्दर्भ में।
2. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 अम्बेडकरनगर।

मुख्य अभियन्ता(फै0क्षे0),
लो0नि0वि0, फैजाबाद।

My Own Eco Energy Pvt. Ltd.
Nitin Jain
Territory Manager
307,308, Cyber Heights
3rd Floor, Infront of Indira Gandhi, Prasthan
Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow
TIN No-09450058000

26/07/18